



2026:AHC-LKO:12322-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय**लखनऊ****रिट - सी संख्या - 1597 सन 2026**

बदलाव द्वारा संस्थापक एवं अध्यक्ष श्री शरद पटेल उर्फ शरद
कुमार

..... याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा सचिव शहरी विकास विभाग लखनऊ
एवं 3 अन्य

.....प्रतिवादी(ओं)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता :	दुर्गेश कुमार राजपूत, अपूर्व ज्योति, अशोक कुमार खरे, मोहम्मद उस्मान, शुभम पाल
प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता :	मुख्य स्थायी अधिवक्ता, शैलेंद्र सिंह चौहान

न्यायालय संख्या - 1**माननीय न्यायमूर्ति राजन राय****माननीय न्यायमूर्ति अब्धेश कुमार चौधरी**

1. अधिवक्ता श्री शुभम जोशी द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 से 4 की ओर से दायर वकालतनामा अभिलेख पर लिया गया है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

2. सुनवाई हुई।
3. याचिकाकर्ता संख्या 1 का दावा है कि लखनऊ नगर निगम द्वारा दिनांक 17.02.2025 के आदेश के तहत उसे आश्रय गृह का संचालन करने के लिए आवंटित किया गया है, हालांकि, उसकी शिकायत यह है कि अभी तक उसे इसका कब्जा नहीं सौंपा गया है।
4. याचिकाकर्ता इस शिकायत को उठाते हुए प्रतिवादी संख्या 3 के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत करें, जो इस पर विचार करके जल्द से जल्द, लगभग दो सप्ताह के भीतर, इस संबंध में निर्णय लेंगे, जब तक कि कोई कानूनी बाधा न हो।
5. निस्तारण किया गया।

[न्यायमूर्ति अब्देश कुमार चौधरी]

[न्यायमूर्ति राजन राय]

फ़रवरी 17, 2026

एमवीएस/-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।